NDOH: 24.03.2025

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 1144/2024

IN THE MATTER OF:

Mohan Singh Bagri …………..Applicant

Versus

State of Uttarakhand & ORS. …………. Respondents

INDEX OF FILING

Sl.No.	PARTICULARS	Page N0.
1	Status Report on behalf of Respondent no. 1 to 3	**1-17**
2	Proof of Service	**18**

FILED ON: 18/03/2025

FILED BY:

(DHRUV TAMTA)
Advocate for the Respondents
Chamber No. 331, M.C. Setalvad Bock Supreme Court of India,
Bhagwan Das Road, New Delhi
Mo. 9899989917 Email - tamtaadvocates@outlook.com

।। ई–मेल ।।

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

सेवा में,

रजिस्ट्रार जनरल,
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली (110001)।

संख्या– 2318 /33–10 (2024–25) दिनांक 18 मार्च, ,2025

विषयः– **मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–1144/2024 मोहन सिंह बागड़ी बनाम् उत्तराखण्ड राज्य के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–1144/2024 मोहन सिंह बागड़ी बनाम् उत्तराखण्ड राज्य के मामले में दिनांक 14.02.2025 को पारित आदेश का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

मा0 प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश के बिन्दु संख्या–6 के क्रम में कार्यालय पत्र संख्या–2048/33–10 (2024–25) दिनांक 28 फरवरी, 2025 के संबंध में आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु उप जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग को पत्र प्रेषित किया गया।

उप जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग ने अपने कार्यालय पत्र संख्या–125/अहलमद–2025 रूद्रप्रयाग दिनांक 12 मार्च, 2025 के द्वारा आख्या इस कार्यालय को प्रस्तुत की गयी है।

अतएव उप जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या (Searchable PDF /OCR Supported PDF) में संलग्न कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्न– यथोपरि।

भवदीय,

18/03/25

(सौरभ गहरवार)
जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

प्रतिलिपिः– 1. श्री ध्रुव टम्टा, पैनल अधिवक्ता, 331, एम.सी. शीतलवाड ब्लॉक, सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली को उप जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या दिनांक 12.03.2025 की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि उक्त प्रकरण से संबंधित प्रभावी पैरवी मा0 प्राधिकरण में करने का कष्ट करें।

2. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड "गौरा देवी पर्यावरण भवन" 46बी आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि Fact Finding Committee द्वारा संबंधित कार्यदायीं संस्थाओं पर उचित प्रकार से मलवे का निस्तारण न किये जाने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आंकलित किये जाने की संस्तुति की गयी है। उक्त प्रकरण में "प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" स्तर से नियमानुसार उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

प्रेषक,

उप जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

पत्रांक–125/अहलमद–2025, रुद्रप्रयाग, दिनांक–12 मार्च, 2025 ।

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–1144/2024, मोहन सिंह बागड़ी बनाम् उत्तराखण्ड राज्य के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या–2048/33–10 (2024–25), दिनांक–28 फरवरी, 2025 का सादर सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रकरण में मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक–14 फरवरी, 2025 को पारित आदेश के बिन्दु संख्या–6 के अनुसार (प्रतिवादी संख्या–06 के अधिशासी अभियन्ता का स्पष्ट नाम वर्णित करते हुये) आख्या तत्काल उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त के क्रम में सादर अवगत कराना है कि अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 (सिं0ख0), जखोली, रुद्रप्रयाग द्वारा अपने पत्र दिनांक–11.03.2025 के द्वारा प्रकरण में मा0 अधिकरण के दिनांक–14 फरवरी, 2025 को पारित आदेश के बिन्दु संख्या–6 के अनुसार (प्रतिवादी संख्या–6 श्री ओमजी, अधिशासी अभियन्ता) अंकित किया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त आपके आदेश संख्या–901/33–10 (2024–25), दिनांक–09 दिसम्बर, 2024 के क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–1144/2024, मोहन सिंह बागड़ी बनाम् उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के मामले में दिनांक–19.11.2024 के द्वारा शिकायतकर्ता श्री मोहन सिंह बागड़ी, ग्राम सेमलता पट्टी भरदार ब्लॉक जखोली, जनपद रुद्रप्रयाग की सेमलता–कफना–डुंगरा मोटर मार्ग पर सड़क निर्माण तथा भरदारी गाड़ में पुल निर्माण कार्य से निकले मलबे को नदी में डाले जाने से 02 घराट प्रभावित होने संबंधित शिकायत के संबंध में श्री अमित पोखरियाल, क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, ई–115 नेहरू कॉलोनी, देहरादून, उप जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रुद्रप्रयाग एवं उप निदेशक, ज्येष्ठ खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, रुद्रप्रयाग को प्रकरण में संयुक्त स्थलीय निरीक्षण करते हुये आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये।

एतद्क्रम में उपरोक्त गठित समिति एवं अन्य के द्वारा दिनांक–11 दिसम्बर, 2024 को विषयगत स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया गया। मौका निरीक्षण एवं कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख एवं मौके पर हुई वार्ता तथा उपस्थित शिकायतकर्ता के प्रतिनिधि व अन्य ग्रामीणों से हुई वार्ता के अनुसार सड़क निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था पी0एम0जी0एस0वाई0, जखोली एवं ब्रीज एण्ड रूफ इंडिया लि0 द्वारा क्रमशः सड़क निर्माण से उत्सर्जित मलवा व पुल के निर्माण हेतु नीव के खुदान से उत्सर्जित मलवे का CONSTRUCTION AND DEMOLITION WASTE MANAGEMENT RULE 2016 उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार समुचित प्रबन्धन/निस्तारण नहीं किया गया। इस संबंध में अधोस्ताक्षरी के पत्र संख्या–59/पी0ए0–2024, दिनांक–11 दिसम्बर, 2024 के द्वारा संयुक्त स्थलीय निरीक्षण आख्या महोदय के संज्ञानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित की गयी है।

प्रश्नगत प्रकरण में पुनः आपके पत्र संख्या–1756/33–10 (2024–25), दिनांक–06 फरवरी, 2025 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्र संख्या–92/अहलमद–विविध/2023–24, दिनांक–10 फरवरी, 2025 के द्वारा आख्या/रिपोर्ट प्रेषित की गयी, जिसमें उल्लेख किया गया कि दिनांक–11.12.2024 को गठित समिति द्वारा विषयगत स्थल का निरीक्षण किया गया, जिसमें निरीक्षण आख्यानुसार चिन्हित स्थल पर वर्षा काल के समय सड़क के ऊपरी भू–भाग से भू–स्खलन के दौरान उत्सर्जित मलवे के कारण निर्मित डम्पिंग यार्ड के सुरक्षा हेतु लगाये गये वायर क्रेटस क्षतिग्रस्त हुये हैं तथा भरदारी गाड़ में मलवा आने से पानी के बहाव की चौड़ाई कम हुई थी। तत्पश्चात् विभाग द्वारा संबंधित ठेकेदार मै0 विजय वैल्डर्स को पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, जखोली द्वारा निर्देशित कर, भरदारी गाड़ में मलवे/बोल्डर्स को हटाकर एवं भरदारी गाड़ के समान्तर वायर क्रेट की दीवार को

लगाया गया है, जिससे भविष्य में भरदारी गाड़ में मलवा जाने की सम्भावना नहीं है एवं भरदारी गाड़ में गये मलवे/बोल्डर्स को हटाकर भरदारी गाड़ के बहाव को पूर्व की भांति बढ़ा दिया गया है।

उक्तानुसार क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, ई–115 नेहरू कॉलोनी, देहरादून के पत्र संख्या–यूकेपीसीबी/ आरओडी/ एन0जी0टी0–124/ 2024–25/ 3738–2037, दिनांक–15.02.2025, के द्वारा प्रकरण में विकासखण्ड जखोली, जनपद रुद्रप्रयाग में पी0एम0जी0एस0वाई0, जखोली द्वारा निर्माणाधीन सेमलता–कफना–डुंगरा मोटर मार्ग तथा भरदारी गाड़ में पुल निर्माण से निकले मलवे के निस्तारण से हुई पर्यावरणीय क्षति के आंकलन हेतु Fact Finding कमेटी का गठन किया गया, जिसमें प्रकरण में दिनांक–24.02.2025 को अपराह्न 12:30 बजे स्थलीय निरीक्षण हेतु तिथि नियत की गयी थी। इसी क्रम में आपके कार्यालय के पत्र संख्या–1878/33–10 (2024–25), दिनांक–17 फरवरी, 2025 के द्वारा प्रकरण में उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग, वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग द्वारा नामित प्रतिनिधि, उप जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग, उप निदेशक, ज्येष्ठ खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, रुद्रप्रयाग, अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई, जखोली को प्रकरण में गठित समिति को उक्त नियत तिथि को स्थलीय निरीक्षण के दौरान आवश्यक सहयोग प्रदान करने के निर्देश दिये गये।

उक्त के क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या–113/अहलमद/2025, दिनांक–25 फरवरी, 2025 के द्वारा संयुक्त स्थलीय आख्या महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित की गयी है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि प्रश्नगत स्थल पर सड़क निर्माण से उत्सर्जित मलवे गिरने से भरदारी गाड़ में पानी के बहाव की चौड़ाई कम हुई है। प्रश्नगत स्थल पर एक डम्पिंग यार्ड पाया गया, जिसमें नीचे की तरफ वायर क्रेटस स्थापित पाये गये, जो अत्यधिक मलवा आने से पूर्व में क्षतिग्रस्त हुये थे, जिसे कार्यदायी संस्था द्वारा मरम्मत कर दिया जाना पाया गया। प्रश्नगत स्थल आरक्षित वन भूमि से बाहर है तथा राजस्व अभिलेखानुसार सिविल भूमि हैं। निर्माणाधीन भरदारी गाड़ पुल से उत्सर्जित मलवे से किसी पेड़ तथा पौधे को कोई क्षति नहीं पहुंची है। पूर्व में सड़क कटिंग से उत्सर्जित मलवा डम्पिंग यार्ड में डाले जाने व पुल के निमार्ण हेतु किये गये खुदान कार्य से उत्सर्जित मलवा भरदारी गधेरे में जाने से गधेरे की चौड़ाई में कमी आई है तथा पूर्व से स्थापित घराट क्षतिग्रस्त हुआ है, जो कि क्रमशः कार्यदायी संस्था पी0एम0जी0एस0वाई0,सि0ख0 जखोली, जिला रूद्रप्रयाग एवं ब्रीज एण्ड रूफ कम्पनी इंडिया लि0 बी–22.2 Floor, Himalaya House, K G Marg, Connaught Place, New Delhi द्वारा उचित प्रकार से मलवे का निस्तारण न किये जाने के कारण हुआ है, मौके पर एकत्रित मलवे की पैमाईश की गई, जिसका विवरण निम्नानुसार हैं:–

01– पी0एम0जी0एस0वाई0, (सिंचाई खण्ड) जखोली, जिला रुद्रप्रयाग–585.58 घन मी0।

02– Bridge and Roof Co(I) Ltd.- 22.2 Floor, Himalaya House, K G Marg, Connaught Place, New Delhi-1649.70 घन मी0।

उक्तानुसार उपरोक्त दोनों कार्यदायी संस्था यथा पी0एम0जी0एस0वाई0 (सिंचाई खण्ड) जखोली, जिला रुद्रप्रयाग एवं ब्रीज एण्ड रूफ कम्पनी इंडिया लि0 बी–22.2 Floor, Himalaya House, K G Marg, Connaught Place, New Delhi-1649.70 द्वारा उचित प्रकर से मलवे का निस्तारण नहीं किये जाने पर उपरोक्तानुसार आंगणित मलवे पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आंकलित किये जाने की संस्तुति की गयी है, जो उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, ई–115 नेहरू कॉलोनी, देहरादून के स्तर से की जानी अपेक्षित है।

अतः एतद्विषयक आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित।

संलग्न–उक्तानुसार।

भवदीय,

12/03/25

(आशीष चन्द्र घिल्डियाल)
उप जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

प्रधानमंत्री ग्रामसड़क योजना

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0(सिं0ख0)
जखोली, रूद्रप्रयाग।

पत्रांक–2393/पी0एम0जी0एस0वाई0/सिं0ख0/ दिनांक 11/03/2025

सेवा में,

उप जिलाधिकारी,
जनपद रूद्रप्रयाग।

विषयः– **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण मे योजित मूल आवेदन सं–1144/2024 मोहन सिंह बागड़ी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः– **आपका पत्रांक–मैमो/अहमद/विविध–2025 दिनांक 28.02.2025।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन सं0–1144/2024 मोहन सिंह बागड़ी, बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य दिनांक 14.02.2025 के बिन्दु सं–6 के अनुसार **(प्रतिवादी सं–6 श्री ओमजी, अधिशासी अभियन्ता)** की आख्या निम्नवत है–

विकासखण्ड जखोली जनपद रूद्रप्रयाग में पी0एम0जी0एस0वाई0 (सि0ख0), जखोली द्वारा निर्मित सेमलता से कफना सतनी मोटर मार्ग निर्माण कार्य दिनांक 16.10.2018 को प्रारम्भ कर दिनांक 23/06/2023 को वित्तीय अन्तिमीकरण कर दिया गया। निर्माण के दौरान कठोर चट्टान होने के कारण कटिंग का कुछ उत्सर्जित मलवा भरदारी गाढ़ में गिर गया था एवं अवशेष उत्सर्जित मलवे का निस्तारण डम्पिंग याड–2 में किया गया। प्रकरण पर मा0 हरित अधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में 11.12.2024 को गठित समिति द्वारा विषयगत स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार चिन्हित स्थल पर वर्षाकाल के समय सड़क की ऊपरी भू–भाग से भू–स्खलन के दौरान उत्सर्जित मलवे के कारण निर्मित डम्पिंग यार्ड के सुरक्षा हेतु लगाये गये वायर क्रेटस क्षतिग्रस्त हुये हैं तथा भरदारी गाड़ में मलवा आने से पानी के बहाव की चौड़ाई कम हुयी थी। वर्तमान में विभाग द्वारा चिन्हित स्थल पर सम्बन्धित ठेकेदार मै0 विजय बिल्डर्स द्वारा भरदारीगाड़ के समान्तर वायर क्रेट की दीवार को लगाया गया है, जिससे भविष्य में भरदारी गाड़ में मलवा जाने की सम्भावना नहीं है एवं भरदारी गाड़ में गये मलवे/बोल्डर्स को हटाकर भरदारी गाड़ के बहाव को पूर्व की भांति बढ़ा दिया गया है।

अतः महोदय सूचना अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक–फोटोग्राफ्स।

(पवन कुमार सिंह)
अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0(सिं0ख0)
जखोली, (रूद्रप्रयाग)

G:\office Letter\NGT.docx

OC/MC
ADM
13-12-2024

प्रेषक,

उप जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

पत्रांक– 59 /पी0ए0–2024, रूद्रप्रयाग, दिनांक– 11, दिसम्बर, 2024 ।

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–1144/2024, मोहन सिंह बागड़ी बनाम् उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के मामले के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके आदेश संख्या–901/33–10 (2024–25), दिनांक–09 दिसम्बर, 2024 का सादर सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयगत प्रकरण के संबंध में संयुक्त निरीक्षण आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्तांकित आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में विषयगत प्रकरण में अधोहस्ताक्षरी, क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रुद्रप्रयाग, उप निदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, रुद्रप्रयाग एवं सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून द्वारा अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, (सिंचाई खण्ड) जखोली एवं शिकायकर्ता के प्रतिनिधि की उपस्थिति में प्रश्नगत स्थल का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया गया।

अतः उपरोक्तानुसार तैयार संयुक्त स्थलीय निरीक्षण आख्या मूल में संलग्न कर महोदय के संज्ञानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न–यथोक्त्।

भवदीय,

(**आशीष** चन्द्र घिल्डियाल) 11/12/24
उप जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

।। संयुक्त निरीक्षण आख्या ।।

कार्यालय जिलाधिकारी महोदय, रुद्रप्रयाग के पत्र संख्या–901 / 33–10 (2024–25), दिनांक–09 दिसम्बर, 2024 के क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–1144 / 2024, मोहन सिंह बागड़ी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में शिकायतकर्ता श्री मोहन सिंह बागड़ी, निवासी ग्राम सेमलता, पटटी भरदार, विकासखण्ड जखोली, जनपद रुद्रप्रयाग द्वारा सेमलता–कफना–डुंगरा मोटर मार्ग पर सडक निर्माण तथा भरदारी गाड़ में पुल निर्माण के कार्य से निकले मलवे को नदी में डाले जाने से दो घराट प्रभावित होने के संबंध में जॉच हेतु निम्नवत् संयुक्त टीम का गठन किया गया है–

1. उप जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
3. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रुद्रप्रयाग।
4. उप निदेशक / ज्येष्ठ खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, रुद्रप्रयाग।

जिलाधिकारी महोदय के उक्तांकित पत्र में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उपरोक्त गठित समिति द्वारा आज दिनांक–11 दिसम्बर, 2024 को विषयगत स्थल का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसमें उपस्थिति निम्नवत् रही है–

1. उप जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
3. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रुद्रप्रयाग।
4. उप निदेशक / ज्येष्ठ खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, रुद्रप्रयाग।
5. सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
6. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, (सिचांई खण्ड) जखोली।
7. सहायक अभियन्ता / कनिष्ठ अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, (सिचांई खण्ड) जखोली।
8. शिकायतकर्ता श्री मोहन सिंह बागड़ी, ग्राम सेमलता, पटटी भरदार, विकासखण्ड जखोली के प्रतिनिधि श्री शिशुपाल सिंह बागड़ी पुत्र रतनू सिंह, ग्राम सेमलता।
9. श्री रनजीत तरफदार, प्रतिनिधि ब्रीज एण्ड रूफ कम्पनी इंडिया लि0।
10. श्री सोहन लाल, राजस्व उप निरीक्षक, तहसील रुद्रप्रयाग।

निरीक्षण के समय की उपस्थिति का विवरण संलग्न है– (अनुलग्नक–1)

विषयगत प्रकरण / स्थल से संबंधित स्थलीय निरीक्षण आख्या बिन्दुवार निम्नवत् है:–

स्थलीय निरीक्षण के दौरान अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अनुसार प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या–829 / पी1–34(Phase-XVI) / यू.आर.आर.डी.ए. / 18, दिनांक–14 मई, 2018 के माध्यम से उक्त सड़क सेमलता–कफना–डुंगरा (Semalta to kafna satni, L050 कि0मी0 12 की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है। **(अनुलग्नक–2)**

उक्त सड़क के निर्माण हेतु भारत सरकार के वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या–8बी / यू0सी0पी0 / 06 / 182 / 2019 / एफ0सी0 / 1587, दिनांक–20.10.2020 के माध्यम से स्वीकृति प्राप्त की गयी है, **(अनुलग्न–3)**। तदोपरान्त उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण द्वारा उक्त मोटर मार्ग के निर्माण के लिये अनुबन्ध संख्या–54 / UT-10-39(I)/XVI/CE-URRDA/2018-19 दिनांक–11.10.2018 के माध्यम कार्य आवंटित किया गया **(अनुलग्नक–4)** एवं उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण द्वारा उक्त सड़क निर्माण में स्थान भरदारी गाड़ पर पुल के निर्माण हेतु रूफ एवं ब्रीज इंडिया लि0 को कार्य आवंटित किया गया है, **(अनुलग्न–5)**।

1. निरीक्षण के दौरान अपर सहायक अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, जखोली द्वारा अवगत कराया गया गया कि शिकायतकर्ता श्री मोहन सिंह बागड़ी, निवासी ग्राम सेमलता को उनके दूरभाष नम्बर–9999052323 पर दिनांक–10 दिसम्बर, 2024 को लगभग प्रातः 07:30 बजे अवगत कराया गया कि दिनांक–11 दिसम्बर, 2024 को आपके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित

अधिकरण, नई दिल्ली मे दर्ज की गयी शिकायत के संबंध में गठित समिति द्वारा जॉच की जानी है, जिसमें आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। इस संबंध में शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया कि वे वर्तमान समय नोएडा में निवासरत् हैं एवं दिनांक–11 दिसम्बर, 2024 को जॉच के दौरान मौके पर उपस्थित नहीं हो सकते हैं। शिकायतकर्ता द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि मेरे द्वारा मौके पर अपने किसी प्रतिनिधि को भेजा जायेगा। संयुक्त स्थलीय निरीक्षण के दौरान शिकायकर्ता के प्रतिनिधि के रूप में श्री शिशुपाल सिंह बागड़ी पुत्र रतनू सिंह, ग्राम सेमलता मौके पर उपस्थित थे।

2. निरीक्षण के दौरान मौके पर उपस्थित अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, जखोली द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त वर्णित सड़क पर जगह–जगह कुल 06 डम्पिंग जोन हैं। इस संबंध में कार्यदायी संस्था पी0एम0जी0एस0वाई, जखोली द्वारा मक डम्पिंग प्लान प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है, **(अनुलग्नक–6)**। प्रश्नगत स्थल पर सड़क निर्माण से उत्सर्जित मलवे (CONSTRUCTION AND DEMOLITION WASTE) गिरने से भरदारी गाड़ में पानी के बहाव की चौड़ाई कम हुई है। प्रश्नगत स्थल पर एक डम्पिंग यार्ड पाया गया, जिसमें नीचे की तरफ वायर क्रेटस स्थापित पाये गये, जो अत्यधिक मलवा आने से क्षतिग्रस्त पाये गये, जिससे जनित मलवा भरदारी गाड़ में भी गया है, जिसकी पुष्टि निरीक्षण के समय भी की गयी। यह भी उल्लेखनीय है कि वर्षा काल के समय सड़क के ऊपरी भू–भाग से भू–स्खलन के दौरान उत्सर्जित मलवा भी उक्त भरदारी गाड में जाना पाया गया। भरदारी गाड़ में स्थापित घराट (वार्टर मिल) के संबंध में राजस्व अभिलेखों से पुष्टि की गयी, जिसमें पूर्व में उक्त स्थान पर घराट स्थापित था। सड़क निर्माण व वर्षा काल में भू–स्खलन से उत्सर्जित मलवा, कार्यदायी संस्था द्वारा निर्मित डम्पिंग यार्ड के नीचे लगाये गये वार्यर क्रेट क्षतिग्रस्त हुये हैं तथा अतिरिक्त मलवा उक्त भरदारी गाड़ में आने से घराट दब गया है/क्षतिग्रस्त हुआ है।

3. निरीक्षण के समय भरदारी गाड़ पर ब्रीज एण्ड रूफ इंडिया लि0 द्वारा 48 मीटर लम्बे पुल का निर्माण कार्य गतिमान पाया गया। पुल निर्माण के दौरान कटिंग व नीव खुदाई आदि से उत्सर्जित मलवा/मक निमार्णाधीन स्थल पर पाया गया। उक्त मलवे से भरदारी गाड़ का पानी के बहाव की चौड़ाई कम हुई है।

मौका निरीक्षण एवं कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख एवं मौके पर हुई वार्ता तथा उपस्थित शिकायतकर्ता के प्रतिनिध व अन्य ग्रामीणों से हुई वार्ता के अनुसार सड़क निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था पी0एम0जी0एस0वाई0, जखोली एवं ब्रीज एण्ड रूफ इंडिया लि0 द्वारा क्रमशः सड़क निर्माण से उत्सर्जित मलवा व पुल के निर्माण हेतु नीव के खुदान से उत्सर्जित मलवे का CONSTRUCTION AND DEMOLITION WASTE MANAGEMENT RULE 2016 उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार समुचित प्रबन्धन/निस्तारण नहीं किया गया है।

अतः उक्तानुसार संयुक्त निरीक्षण आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

11/12/2024 — (खुशकन्त सिंह चौहान)
अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड
रुद्रप्रयाग।

11/12/2024 — (एस.एस.चौहान)
सहायक वैज्ञानिक अधिकारी
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
देहरादून

11/12/24 — (बीरेन्द्र कुमार सिंह)
उप निदेशक/ज्येष्ठ खान
अधिकारी, रुदप्रयाग।

11/12/2024 — (अमित पोखरियाल)
क्षेत्रीय अधिकारी,
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
देहरादून।

11/12/24 — (आशीष चन्द घिल्डियाल)
उप जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

O.C/M.C

A.D.M.
प्र० 10-02-2025

प्रेषक,

उप जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

संख्या– 92 /अहलमद–विविध / 2023–24 दिनांकः रूद्रप्रयाग 10 फरवरी, 2025

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–1144/2024, **मोहन सिंह बागड़ी बनाम उत्तराखण्ड राज्य के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय के पत्र संख्या 1756/33–10 (2024–25) दिनांक–06 फरवरी, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 हरित अधिकरण द्वारा वर्णित मामले में दिनांक–08.01.2025 को पारित आदेश की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये उपरोक्त वर्णित मामले के विन्दु संख्या–3 के अनुसार आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश प्राप्त हुये हैं।

विकासखण्ड जखोली जनपद रूद्रप्रयाग में पी0एम0जी0एस0वाई0, जखोली द्वारा निर्माणाधीन सेमलता–कफना–डुंगरा मोटर मार्ग एवं भरदारी गाड़ ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी द्वारा पुल निर्माण से निकले मलवे के निस्तारण के संबंध में प्रकरण पर मा0 हरित अधिकरण से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में गठित समिति द्वारा दिनांक 11.12.2024 को वर्णित स्थल का निरीक्षण किया गया था, जिसमें निम्न तथ्य पाया गया थाः–

"चिन्हित स्थल पर वर्षाकाल के समय सड़क के ऊपरी भू–भाग से भू–स्खलन के दौरान उत्सर्जित मलवे के कारण निर्मित डम्पिंग यार्ड के सुरक्षा हेतु लगाये गये वायर क्रेटस क्षतिग्रस्त हुये हैं तथा भरदारी गाड़ में मलवा आने से पानी के बहाव की चौड़ाई कम हुई थी"।

प्रश्नगत प्रकरण में अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 07.02.2025 को स्थलीय निरीक्षण किया गया, स्थलीय निरीक्षण के दौरान निम्न तथ्य पाये गयेः–

1– संबंधित ठेकेदार मै0 विजय बिल्डर्स होटल विजय पैलेस केदारनाथ रोड तिलवाड़ा, रूद्रप्रयाग द्वारा सेमलता–कफना–डुंगरा मोटर मार्ग के भरदारी गाड से मलबे/बोल्डर्स को हटाकर भरदारी गाड के समान्तर वायर क्रेट की दीवार लगायी गयी है, जिससे भविष्य में भरदारी गाड में मलवा जाने की सम्भावना न्यून है।

2– भरदारी गाड़ में गये मलबे/बोल्डर्स को हटाकर भरदारी गाड के बहाव को पूर्व की भांति बढ़ा दिया गया है, जिसके फोटोग्राफ संलग्न हैं।

अतः एतद्विषयक जांच आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित।

संलग्न– यथोपरि।

भवदीय,

(भगत सिंह फोनिया)
उप जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

भरदारी गाड में मलवे के प्रभाव को न्यून करने हेतु किये गये सुरक्षात्मक कार्य।

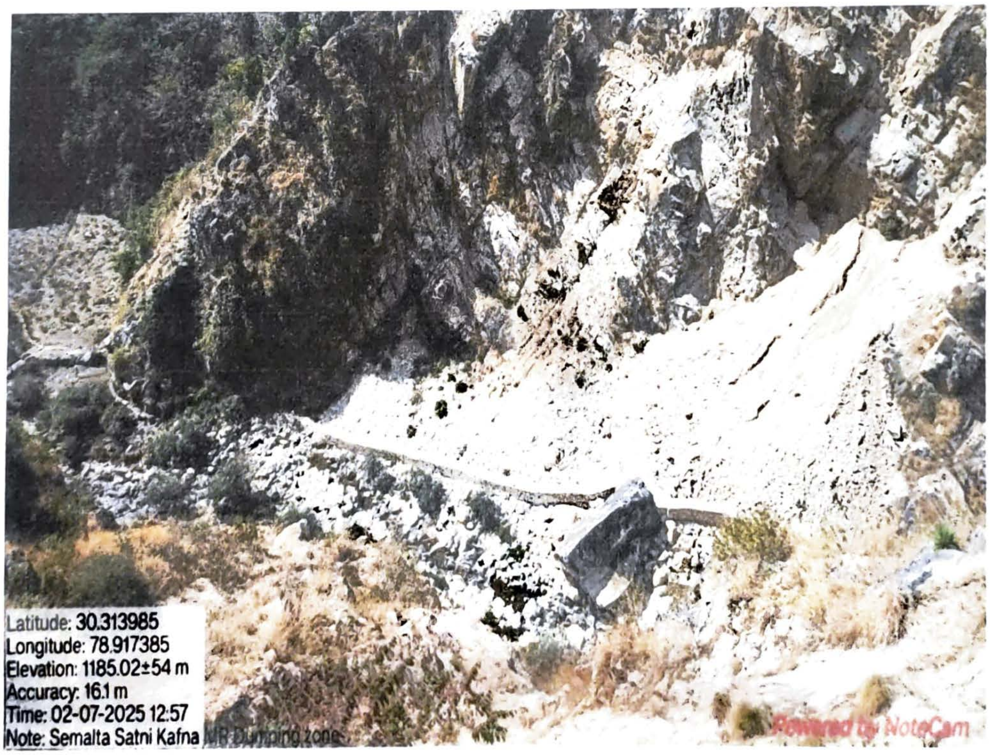

Leela
(AME)

भरदारी गाड में मलवे के प्रभाव को न्यून करने हेतु किये गये सुरक्षात्मक कार्य।

Leela
(AME)

भरदारी गाड में मलवे के प्रभाव को न्यून करने हेतु किये गये सुरक्षात्मक कार्य।

Latitude: 30.315002
Longitude: 78.915332
Altitude: 1235.8±100 m
Accuracy: 12.3 m
Time: 01-20-2025 13:56
Note: BDS MR

Latitude: 30.318977
Longitude: 78.91542
Altitude: 1876.2±101 m
Accuracy: 12.9 m
Time: 01-28-2025 12:12
Note: Semalta satni MR

Laxkri
(AME)

भरदारी गाड में मलवे के प्रभाव को न्यून करने हेतु किये गये सुरक्षात्मक कार्य।

(AME)

OC/MC

ADM 17-02-2025

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
ई–118, नेहरू कॉलोनी, देहरादून–248001
टेलीफोन नं.–0135–3693200..

LiFE Lifestyle For Environment

पत्रांक सं0–यूकेपीसीबी/आरओडी/एन0जी0टी0–124/2024–25/3738–2037 दिनांक 15/02/2025

सेवा में,

1. उपजिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य।

विषयः–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या–1144/2024 मोहन सिंह बागड़ी बनाम् उत्तराखंड राज्य में पारित आदेश दिनांक 08.01.2025 के अनुपालन में दिनांक 24.02.2025 को स्थलीय निरीक्षण करने हेतु उपस्थित होने के संदर्भ में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या यूकेपीसीबी/एच.ओ./सा.–183–828/2025/1645 दिनांक 07.02.2025 के अनुक्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या–1144/2024 मोहन सिंह बागड़ी बनाम् उत्तराखंड राज्य में पारित आदेश दिनांक 08.01.2025 का अवलोकन करना चाहें। प्रकरण विकासखंड जखोली, जनपद रूद्रप्रयाग में पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा निर्माणाधीन सेमलता–कफना–डुंगरा मोटरमार्ग तथा भरदारी गाड़ में पुल निर्माण से निकले मलवे के निस्तारण से हुई पर्यावरणीय क्षति के आंकलन हेतु Fact Finding कमेटी का गठन किया गया है। उक्त कमेटी में आप भी सदस्य हैं।

अतः प्रकरण पर दिनांक 24.02.2025 को अपराहन 12:30 बजे स्थलीय निरीक्षण हेतु तिथि नियत की जाती है। आपसे अनुरोध है कि प्रकरण की महत्ता को देखते हुए उक्त निरीक्षण हेतु आप स्वयं अथवा अपने विभाग से प्रतिनिधि नामित करने का कष्ट करना चाहें ताकि स–समय निरीक्षण कर रिपोर्ट आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित की जा सके एवं प्रकरण की अद्यतन स्थिति मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल की जा सके। अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

भवदीय,

(अमित पोखरियाल)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–

1. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गौरा देवी पर्यावरण भवन, 46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून, को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग को इस अनुरोध के साथ की समिति को आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु सम्बंधित को निर्देशित करना चाहें।
3. उप निदेशक/ज्येष्ठ खनन अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, रूद्रप्रयाग को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त तिथि में निरीक्षण हेतु उपस्थित रहने का कष्ट करें।
4. सहायक वैज्ञानिक अधिकारी/सहायक पर्यावरण अभियंता, बोर्ड मुख्यालय, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त तिथि में निरीक्षण हेतु उपस्थित रहने का कष्ट करें।

क्षेत्रीय अधिकारी

RNo-422/EMC/2013
01/03/25

OC/M.C

OC
28.2.2025

प्रेषक,

उप जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

पत्रांक– 113 /अहलमद–2025, रूद्रप्रयाग, दिनांक– 25, फरवरी, 2025 ।

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–1144/2024, मोहन सिंह बागड़ी बनाम् उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के मामले के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या–1878/33–10 (2024–25), दिनांक–17 फरवरी, 2025 का सादर सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्तांकित पत्र में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में विषयगत प्रकरण में उप जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग, सहायक वन संरक्षक, वन विभाग, रुद्रप्रयाग, क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून, उप निदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, रुद्रप्रयाग, तहसीलदार रुद्रप्रयाग एवं सहायक पर्यावरण अभियन्ता, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून द्वारा प्रश्नगत स्थल का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया गया।

अतः उपरोक्तानुसार तैयार संयुक्त स्थलीय निरीक्षण आख्या मूल में संलग्न कर महोदय के संज्ञानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न–यथोक्त।

भवदीय,

24/2/25

(भगत सिंह फोनिया)
उप जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

Scanned with OKEN Scanner

।। संयुक्त निरीक्षण आख्या ।।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या 1144/2024 मोहन सिंह बागडी बनाम स्टेट ऑफ उत्तराखण्ड के क्रम में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.11.2024 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण दिनांक 11.12.2024 को किया गया, जिसकी आख्या पूर्व में प्रेषित की गई है। तदोपरान्त बोर्ड मुख्यालय उत्तराखण्ड प्रदूषण नियत्रण बोर्ड के पत्रांक यू0 के0पी0सी0बी0/एच. ओ/सामान्य–183–828/2025/1645 दिनांक 7.02.2025 द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.01.2025 के क्रम में विकास खण्ड जखोली जनपद रूद्रप्रयाग में पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा निर्माणाधीन सेमलता–कफना–डुंगरा मोटर मार्ग तथा भरदारी गाड़ में पुल निर्माण से निकले मलवे के निस्तारण से हुई पर्यावरणीय क्षति के आकलन हेतु निम्नानुसार **Fact Finding Committee** का गठन किया गया–

1. प्रभागीय वनाकधिकारी, रूद्रप्रयाग अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
3. सहायक वैज्ञानीक अधिकारी/सहायक पर्यावरण अभियन्ता बोर्ड मुख्यालय देहरादून।

बोर्ड मुख्यालय के उक्तांकित पत्र के क्रम में जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग के कार्यालय पत्र संख्या–1878/33–10 (2024–25), दिनांक 17.02.2025 के द्वारा उप वन संरक्षक रूद्रप्रयाग, उपजिलाधिकारी रूद्रप्रयाग, उपनिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग रूद्रप्रयाग, अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 (सिंचाई खण्ड) जखोली को जांच में आवश्यक सहयोग हेतु निर्देशित किया गया हैं, जिसके अनुपालन में आज दिनांक 24.02.2025 को विषयगत स्थल का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसमें उपस्थिति निम्नवत् रही है–

1. उपजिलाधिकारी रूद्रप्रयाग।
2. डा0 दिवाकर पन्त सहायक वन संरक्षक वन विभाग रूद्रप्रयाग।
3. तहसीलदार, रुद्रप्रयाग।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
5. उप निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, रुद्रप्रयाग।
6. सहायक पर्यावरण अभियंता उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
7. पवन कुमार सिंह अधि0अभि0 पी0एम0जी0एस0वाई (सिचांई खण्ड) जखोली।
8. हिमालीयन बेरा प्रतिनिधि ब्रीज एण्ड रूफ कम्पनी इंडिया लि0।
9. दुर्गा सिंह रावत रा0 नि0 खांकरा रूद्रप्रयाग।
10. श्री सोहन लाल, राजस्व उप निरीक्षक, तहसील रुद्रप्रयाग।
11. शिकायतकर्ता श्री मोहन सिंह बागड़ी, ग्राम सेमलता, पटटी भरदार, विकासखण्ड जखोली के प्रतिनिधि श्री शिशुपाल सिंह बागड़ी पुत्र रतनू सिंह, ग्राम सेमलता।

निरीक्षण के समय की उपस्थिति का विवरण संलग्न है– (अनुलग्नक–1)
विषयगत प्रकरण/स्थल से संबंधित स्थलीय निरीक्षण आख्या बिन्दुवार निम्नवत् हैः–

प्रश्नगत स्थल पर सड़क निर्माण से उत्सर्जित मलवे गिरने से भरदारी गाड़ में पानी के बहाव की चौड़ाई कम हुई है। प्रश्नगत स्थल पर एक डम्पिंग यार्ड पाया गया, जिसमें नीचे की तरफ वायर क्रेटस स्थापित पाये गये, जो अत्यधिक मलवा आने से पूर्व में क्षतिग्रस्त हुये थे, जिसे कार्यदायी सस्था द्वारा मरमत कर दिया जाना पाया गया।

प्रश्नगत स्थल आरक्षित वन भूमि से बाहर हैं, तथा राजस्व अभिलेखानुसार सिविल भूमि हैं। निर्माणाधीन भरदारी गाड़ पुल से उत्सर्जित मलबे से किसी पेड़ तथा पौधे को कोई क्षति नहीं पंहुची हैं।

पूर्व में सड़क कटिंग से उत्सर्जित मलवा डपिग यार्ड में डाले जाने व पुल के निर्माण हेतु किये गये खुदान कार्य से उत्सर्जित मलवा भरदारी गदेरे में जाने से गदेरे की चौड़ाई में कमी आयी है तथ पूर्व से स्थापित घराट क्षतिग्रस्त हुआ है, जो कि क्रमशः कार्यदायी संस्था पी0एम0जी0एस0वाई (सिचांई खण्ड) जखोली जिला रूद्रप्रयाग व ब्रीज एण्ड रूफ कम्पनी इंडिया लि0 बी–22,2nd **Floor,Himalaya House,K G Marg,Connaught Place,New Delhi** द्वारा उचित प्रकार से मलवे का निस्तारण न किये जाने के कारण हुआ है, मौके पर एकत्रित मलवे की पैमाईश की गई जिसका वितरण निम्नानुसार हैंः–

1– पी0एम0जी0एस0वाई (सिचांई खण्ड) जखोली जिला रूदप्रयाग–585.58 घन मी0।

2– **Bridge and Roof Co(I) Ltd.**–**22,2nd Floor,Himalaya House,K G Marg,Connaught Place,New Delhi**–1649.70 घन मी0।

उक्तनुसार उपरोक्त दोनों कार्यदायी संस्था यथा पी0एम0जी0एस0वाई (सिचांई खण्ड) जखोली जिला रूद्रप्रयाग व ब्रीज एण्ड रूफ कम्पनी इंडिया लि0 बी–22,2nd **Floor,Himalaya House,K G Marg, Connaught Place,New Delhi** द्वारा उचित प्रकार से मलवे का निस्तारण नहीं किये जाने पर उपरोक्तानुसार आंगणित मलवे पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आंकलित किये जाने की संस्तुति की जाती हैं।

अतः उक्तानुसार संयुक्त निरीक्षण आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

(राकेश कण्डारी)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता,
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
देहरादून

(राम किशोर ध्यानी)
तहसीलदार,
रूद्रप्रयाग।

(बीरेन्द्र कुमार सिंह)
उप निदेशक/ज्येष्ठ खान,
अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,
रूद्रप्रयाग।

24/02/2025
(अमित पोखरियाल)
क्षेत्रीय अधिकारी,
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
देहरादून।

24/02/2025
(डा0 दीवाकर पन्त)
सहायक वन संरक्षक,
वन विभाग,
जनपद रूद्रप्रयाग।

24/2/2025
(भगत सिंह फोनिया)
उप जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं० 1144/2024 मोहन सिंह नागड़ी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 08/01/2025 के क्रम में बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक: यू.के.पी.सी.बी./एच.ओ./सा०-183-828/2025/1645 दि० 07/02/2025 के अनुपालन में Fact Finding Committee द्वारा स्थलीय निरीक्षण दि० 24/02/2025 को किया गया। निरीक्षण के समय उपस्थिति निम्नवत् रही।

क्र.सं.	नाम	विभाग का नाम/पदनाम	मोबाइल नं०	हस्ताक्षर
(1)	अमित पोखरियाल	यू.के.पी.सी.बी./ क्षेत्रीय अधिकारी	9837156720	
(2)	डॉ० दिवाकर पन्त	वन विभाग रुद्रप्रयाग (सहायक वन संरक्षक)	8006904438	
3)	राकेश कण्डारी	लो०नि०वि० पर्या० अभि०	94117220[illegible]	
4	वीरेन्द्र कुमार सिंह	उपनिदेशक/प्रभा. खान कार्या.	9192802335	
5	~~राम किशोर ध्यानी~~	~~[illegible] रुद्रप्रयाग~~	6958588230	
	~~दुर्गा प्रसाद रावत~~	~~राजस्व निरीक्षक (खांकरा)~~	9720315450	
	~~मोहन लाल~~	~~राजस्व उप निरीक्षक~~	9927532421	
	पवन कुमार सिंह	अधि० अभि० PMGSY	9557225110	
	Himaly Bem	Bridge & Road	8218370542	
	[illegible] मोहन सिंह नागड़ी	[illegible]	9528465774	
	भगत सिंह फोनिया	S-D.M. (R)	897921111	

Outlook

Proof o service

Sub:- ORIGINAL APPLICATION NO. 1144/2024 Mohan Singh Bagri Versus State of Uttarakhand & ORS

From dhruv tamta <tamtaadvocates@outlook.com>
Date Tue 3/18/2025 12:13 PM
To mohans.bagari1958@gmail.co <mohans.bagari1958@gmail.co>; MVERMADV@YAHOO.CO.IN <mvermadv@yahoo.co.in>; Singhrawat.akhilesh@gmail.com <Singhrawat.akhilesh@gmail.com>

1 attachment (7 MB)
Status Report on behalf of Respondent no. 1 to 3.pdf;

To,

Mohan Singh Bagari
mohans.bagari1958@gmail.com

MUKESH VERMA ADV FOR – UKPCB- RES. NO. 4
MVERMADV@YAHOO.CO.IN,MVERMADV@GMAIL.COM

AKHILESH SINGH RAWAT-RES. NO. 5
99109088007- Singhrawat.akhilesh@gmail.com

Sir

Please find the attached Status report on behalf of respondents no. 1 to 3 in above noted matter.

regards
Dhruv Tamta
Advocate
+91-9899989917

Disclaimer: The content of this electronic communication is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and any others who are specifically authorized to receive it. It may contain confidential or legally privileged information. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or otherwise placing reliance on the contents of this information is prohibited and may be unlawful in certain legal jurisdictions. If you have received this communication by error please notify the sender immediately and then delete it from your system.

Security Warning: Although this e-mail and its attachments are believed to be free from any virus, it is the responsibility of the recipient to ensure that they are virus free.

Please consider the environment before printing this e-mail.